

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. एफ-22-10-2016-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग क), धारा 74 की उपधारा (2), धारा 96 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 1994 में, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2016 में पूर्व प्रकाशित की जा चुकी है, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 66 में,

(1) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) धारा 87 तथा धारा 88 की उपधारा (7) के अधीन अस्थाई अनुज्ञापत्र या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र एवं धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन पर्यटन अनुज्ञापत्र जारी करना;”

(2) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ज) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग क) के अधीन मंजिली गाड़ियों के चालन हेतु मार्गों को निश्चित करना; .

2. नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“71 मोटर चलाये जाने योग्य मार्ग.—यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए सड़क निर्माण/रखरखाव करने वाली शासकीय एजेंसी से मार्ग के संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु समाविष्ट होंगे :—

- (क) सड़क पर विद्यमान पुलों, पुलियों तथा मंजिली गाड़ी के सुरक्षित प्रचालन के लिए अभिमत, अन्य बाधाओं की जानकारी;
- (ख) मार्ग की कुल दूरी, मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों/नगरों की वास्तविक दूरी की जानकारी;
- (ग) मार्ग के मोटरयान संचालन के लिए योग्य होने की जानकारी, मार्ग के सभी मौसमों अथवा वर्ष के कुछ माहों के संचालन योग्य रहने की जानकारी;
- (घ) मार्ग का भौगोलिक नक्शा तथा मार्ग पर, यदि कोई ब्लैक स्पॉट हो तो उसकी जानकारी.”

No. F-22-10-2016-VIII.—In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section (3) of Section 68 sub section (2) of Section 74, sub-section (2) of Section 79, read with sub-section (1) and (2) of Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles rules, 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 13th October 2016 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said act, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 66,—

(1) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) to grant temporary permit under Section 87, sub-section (7) of Section 88 or special permit under sub-section (8) of Section 88 and to issue tourist permit under sub-section (9) of Section 88;"

(2) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :—

"(h) to formulate routes for driving of stage carriage under clause (ca) of sub-section (3) of Section 68 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988);".

2. For rule 71, the following rule shall be substituted, namely:—

"71. **Route motorability.**—The State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, for grant of stage carriage permit, may obtain certificate from the road construction/maintaining Government agencies in respect of route, which shall consist of the following points :—

- (a) opinion for existing bridges, culverts on the road and in safe operation of stage carriage, information of other obstructions;
- (b) total distance of the route, information of actual distance of the enroute Villages/Towns;
- (c) information of being operationable motor vehicle of the route, information of being operationable of the route of all seasons or some other months of the year;
- (d) Topography map of route and information of black spot on the route, if any."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.